(2018) 3 एस 0 सी0 आर 0 1022

श्रीमति सुवरनम्मा व अन्य

बनाम

यूनाइटेड इन्डिया इन्श्योरेंस क 0 लि0 व अन्य

सिविल अपील सं0- 3734/2018, अप्रैल 11-2018

(एन 0 वी0 रमाना एवं एस 0 अब्दुल नजीर, न्यायमूर्तिगण)

मोटर वाहन अधिनियम 1988, क्षतिपूर्ति- के लिये दावा-घातक दुर्घटना के लिये- दावा न्यायाधिकरण द्वारा क्षतिपूर्ति अधिनिर्णीत की गयी, धारित किया गया- वाहन का स्वामी और बीमा कम्पनी को दायित्व से मुक्त किया गया- अपील में अवधारित किया गया- वर्तमान वाद के तथ्यो में, न्यायाधिकरण द्वारा अपने निष्कर्ष में सम्भावित दृष्टिकोण अपनाया गया, जिसे केवल सरसरी तौर पर अवलोकन करके, बिना किसी विश्वसनीय साक्ष्य के, उच्च न्यायालय द्वारा पलटा नही जा सकता- अधिनिर्णय की पुष्टि की गयी- अपील स्वीकार करते हुये, न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया - 1 इस तथ्य के बारे में कोई विवाद नही है कि घटना के समय दुर्घटना में शामिल टैª क्टर को चालक/मालिक द्वारा उतावलेपन और लापरवाही से चलाया जा रहा था। साक्षी पी0 डबलू - 3 जो घटना का स्वतन्त्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है, सभी सम्भावनाओं में यह स्पष्ट है कि मृतक की मृत्यु ट्रेक्टर से दुर्घटना के कारण हुयी थी। जिसे उतावलेपन ओर लापरवाही से चलाया जा रहा था जबकि पीडित फुटपाथ पर पैदल अपने घर जा रहा था। इस तथ्य का खुलासा प्रथम सूचना रिपोर्ट में भी है। बीमा कम्पनी के मंडल प्रबन्धक आर 0 डबलू -1 के ब्यान के अलावा ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर नही है जिससे यह स्थापित किया जा सके कि पीडित टैª क्टर पर यात्री के रूप में था, बिना किसी सम्भावित साक्ष्य के इस पर विचार नही किया जा सकता, जबकि इसके विपरीत स्वतन्त्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के रूप में साक्ष्य उपलब्ध है। टैª क्टर के चालक - स्वामी - बीमाधारक को साक्षी के रूप में परिक्षित नही किया गया। यह भी प्रकट करता है कि उन्होने न्यायधिकरण के फैसले के विरूद्ध अपील योजित नही की। दूसरे शब्दो में सुवरनम्मा बनाम यूनाइटेड इण्डिया इन्शयोरेंस कं0 लि0 वाद का समर्थन किया।

अपीलकर्ता- याचिकाकर्ता। न्यायाधिकरण सम्भावित दृष्टिकोण के आधार पर निष्कर्ष पर पहुँचा जिसे केवल सरसरी तौर पर अवलोकन करके बिना किसी विश्वसनीय साक्ष्य के उच्च न्यायालय द्वारा पलटा नही जा सकता।

(पैरा-9)

2- प्रत्यार्थीगण, अपलीकर्ताओ को संयुक्ततः और प्रथक्तः सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति देने के लिये दायित्वाधीन है। साथ ही याचिका दाखिल करने की तिथि से वास्तविक भुगतान की तिथि तक 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देय होगा।

(पैरा-10)

सिविल अपीलिय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील सं0- 3734 सन-2018

कर्नाटक उच्च न्यायालय, बैंगलूरू द्वारा एम 0 एफ 0 ए 0 नं0-1045 सन 2011 में पारित आदेश दिनांक 10-07-2015 से महेश ठाकुर, सुश्री विपाशा सिंह(डा0 सुशील बालवाडा के लिये)

अपीलकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता।

मोहित पाल, विनीत मल्होत्रा और अनुग्रह नीरज इक्का, प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता।

न्यायामूर्ति, एन 0 वी0 रमाना

1- अनुमति प्रदान की गयी।

2- यह अपील कर्नाटक उच्च न्यायालय, बैगलूरू द्वारा विविध प्रथम अपील सं0- 1045 सन 2011 में पारित आदेश दिनांक 10-जुलाई 2015 के विरूद्ध योजित हुयी है। उक्त निर्णय द्वारा, उच्च न्यायालय ने दायित्व/देयता से छूट देते हुये बीमा कं0 द्वारा योजित अपील को स्वीकार किया और मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण चिकबल्लापुर द्वारा याचीगण को क्षतिपूर्ति दिये जाने के अधिनिर्णय को अपास्त कर दिया।

3- 13 जुलाई 2004 को थाना-चेलुरू में अपीलार्थी सं0-1 द्वारा दर्ज करायी गयी शिकायत के अनुसार, उसका पति नरसा रेडडी 12 जुलाई 2004 की शाम 7ः00 बजे चकवेलु डेयरी पर दूध देने के लिये घर से गया था और वापिस नही लौटा। अगले दिन सुबह-सुबह उसने सुना कि भूमि समतल करने वाले ट्रैक्टर द्वारा जिसका रजि नं0- ज्छ 38 ठ 5899 था के चालक द्वारा टैª क्टर को तेज गति ओर लापरवाही से चलते हुये उसके पति को ब्रहमनारा टैक, निकट मादम्मा मन्दिर, चकवेलू बुदलावरापल्ली रोड पर कुचल दिया गया था जिस कारण उसी स्थान पर तत्काल उनकी मृत्यु हो गयी। जिस पर मु0 अं0 सं0-28/2004, अं0 धारा

279,304(ए) आई0पी0सी0 में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुयी। बाद में, क्षर्तिपूर्ति प्राप्त करने के लिये दो क्षतिपूर्ति याचिकाये योजित की गयी एक मृतक की पत्नि और पुत्र की और से तथा दूसरी मृतक के पिता की ओर से।

4- विद्धान वरिष्ठ सिविल जज ओर सदस्य मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण चिकबल्लापुर द्वारा वाद बिन्दू बनाये गये ओर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मोटर दुर्घटना में मृतक की मृत्यु प्रतिवादी सं0-2 जो कि ट्रैक्टर का मालिक भी है के द्वारा उतावलेपन और लापरवाही से वाहन चलाने के कारण हुयी है। तदनुसार, न्यायाधिकरण द्वारा मृतक के कानूनी उत्तराधिकारियो जो कि यहां पर अपीलार्थी हैं को 4,31,000/-रू की क्षतिपूर्ति अधिनिर्णित की गयी और 10,000/-रू प्रेम ओर स्नेह से वंचित होने के लिये मृतक के पिता को दिये। न्यायाधिकरण द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि बीमा क0 (प्रतिवादी सं0-1) और टैªक्टर का स्वामी (प्रतिवादी सं0-2) संयुक्ततः ओर पृथक्तः क्षतिपूर्ति राशि मय 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से क्षतिपूर्ति याचिका योजित करने की दिनांक से वास्वविक भुगतान की तिथि तक, भुगतान करने के लिये उत्तरदायी है और वे इस धनराशि को आदेश की तिथि से 3 माह के अन्दर जमा करेगे।

5- न्यायाधिकरण द्वारा अपीलकर्ताओ को क्षतिपूर्ति दिये जाने के आदेश से दुखी होकर बीमा कं0 द्वारा इस आदेश के विरूद्ध उच्च न्यायालय में विविध प्रथम अपील सं0- 1045/2011 योजित की गयी। हालाकि उच्च न्यायालय ने अपना मत दिया कि मृतक के कानूनी उत्तराधिकारियो का दावा गलत तथ्यो पर आधारित था। अपने द्वारा दिये गये निर्णय में उच्च न्यायालय ने न्यायाधिकरण द्वारा मृतक के कानूनी उत्तराधिकारियों को दिये गये क्षतिपूर्ति आदेश को त्रुटिपूर्ण घोषित कर अपास्त कर दिया तथा बीमा कं0 को उसके दायित्व से मुक्त कर दिया। फलस्वरूप, वर्तमान अपील में मृतक के कानूनी उत्तराधिकारी अपीलकर्ता के रूप में हमारे सामने है।

6- हमने दोनो ओर के विद्धान अधिवक्तागण को सुना ओर सावधानी पूर्वक पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

7- अपीलकर्ताओ की ओर से उपस्थित विद्धान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि उच्च न्यायालय ने, न्यायाधिकरण द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध वैध सामग्री के आधार पर दर्ज किये गये विशिष्ट तथ्य को अस्वीकार करके गम्भीर विधिक त्रुटि की है। प्रत्यक्षदर्शी साक्षी ईश्वरा रेडडी पी0डब्लू-3 के साक्ष्य से स्पष्ट है कि जब पीडित फुटपाथ पर चल रहा था तब वाहन के चालक द्वारा उतावलेपन व लापरवाहीपूर्ण तरीके से वाहन चलाने के कारण दुर्घटना घटित हुयी उस समय पी0डब्लू0 3 राहगीर था। पी0डब्लू0 3 द्वारा प्रस्तुत विश्वनीय व प्रबल साक्ष्य पर विश्वास करने के बजाय उच्च न्यायालय ने इसे अस्वीकृत कर दिया और गलत तरीके ने यह मान लिया कि मृतक टैªक्टर के ब्लेड पर बैठकर यात्रा कर रहा था यदपि ऐसा कोई साक्ष्य इस सम्बन्ध में प्रस्तुत नही किया है। यहा तक कि टैªक्टर चालक की परिक्षा के अभाव में, हालाकि अभियोजन पक्ष के गवाहो की प्रतिपरिक्षा में कुछ भी प्रतिकूल नही पाया गया था। उच्च न्यायालय द्वारा केवल उपधारणाओं, अनुमानो तथा सम्भावनाओ पर विधि के स्थापित सिद्धान्तो की अनदेखी करते हुये अपना निर्णय आधारित किया जिसमें इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

8- यदपि बीमा कं0 की ओर से उपस्थित विद्धान अधिवक्ता द्वारा उच्च न्यायालय के निर्णय का समर्थन किया तथा निवेदन किया कि पी0डब्लू0 3 के साक्ष्य पर विश्वास न करके उच्च न्यायालय ने सही किया है। यह परिकल्पना कि मृतक दुर्घटना के समय फुटपाथ पर जा रहा था, अपीलार्थी द्वारा केवल क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के आशय के दर्शायी गयी है। उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त परिस्थितियो का आंकलन सही परिपेक्ष तथा उचित रूप से किया है कि अपीलकर्ता क्षतिपूर्ति के हकदार नही है।

ः9- प्रतिपक्षी अधिवक्ताओ द्वारा प्रस्तुत प्रतिद्धन्दी निवेदनो पर उत्सुक्तापूर्वक विचार करने तथा पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो का अवलोकन करने के बाद इस तथ्य पर कोई विरोधाभाष नही है कि घटना के समय जो ट्रैक्टर चालक/मालिक द्वारा उतावलेयन और लापरवाही से चलाया जा रहा था

एक मात्र स्वतन्त्र चक्षुदर्शी साक्षी पी0डब्लू-3 के साक्ष्य से सभी सम्भावनाओं में यह स्पष्ट है कि मृतक की मृत्यु ट्रैक्टर से दुर्घटना के कारण हुयी थी। जिसे उतावलेपन और लापरवाही से चलाया जा रहा था जब पीडित अपने घर पैदल फुटपाथ पर जा रहा था। प्रथम सूचना रिपोर्ट में भी ये तथ्य उल्लेखित है। साथ ही हम ऐसा कोई तथ्य पत्रावली पर नही पाते जो सिद्ध कर सके कि पीडित टैªक्टर पर यात्री था सिवाय आर0डब्लू0-1 बीमा कं0 के मंडल प्रबन्धक के ब्यान के। एक मात्र कथन कि पीडित अवैधानिक रूप से टैªक्टर पर यात्रा कर रहा था। बिना किसी सम्भावित साक्ष्य के इस पर विचारण नही किया जा सकता। जबकि इसके विपरीत साक्ष्य, स्वतन्त्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के रूप में उपलब्ध हो। यहां यह उल्लेखनीय है कि टैªक्टर चालक, स्वामी, बीमा धारक की साक्षी के रूप में परिक्षा नही की गयी थी। यह भी स्पष्ट है कि उन्होने न्यायाधिकरण के निर्णय के विरूद्ध अपील योजित नही की जो कि दूसरे शब्दो में अपीलार्थीगण-याचीगण के मामले का समर्थन करता है ऊपर बतायी गयी परिस्थितियो को ध्यान में रखते हुये हमारी राय में न्यायाधिकरण सम्भावित दृष्टिकोण के आधार पर निष्कर्ष पर पहुँचा जिसे केवल सरसरी तौर पर अवलोकन करके बिना किसी विश्वसनीय साक्ष्य के उच्च न्यायालय द्वारा पलटा नही जा सकता। इस लिये हम न्यायाधिकरण द्वारा दिये गये निर्णय के लिये अपनी सहमति देते है।

10- परिणामस्वरूप, जैसा कि न्यायाधिकरण द्वारा अवधारित किया गया है कि प्रत्यार्थीगण से संयुक्ततः और प्रथक्तः क्षतिपूर्ति की सम्पूर्ण धनराशि 4,31,000/-रू मय 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के अपीलार्थीगण को याचिका योजित करने की तिथि से वास्तविक भुगतान की तिथि तक भुगतान करने के लिये उत्तरदायी है।

11- उपरोक्त सभी कारणो से पूर्वोक्त शर्तो के अनुसार, बिना कोई जुर्माने का आदेश किये अपील स्वीकृत की जाती है।